महत्वपूर्ण

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/ 33577-926 /2014–15 दिनांक 06 जनवरी, 2015

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(1)(ग) के अन्तर्गत आस–पास (neighbourhood) के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में शिक्षा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–3087(1)/79–5–2012–29/09टी.सी.–11 दिनांक 3–12–2012 एवं शासनादेश संख्या–538/79–6–2013 दिनांक 20 जून, 2013 का संदर्भ लेने का कष्ट करें,जो गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत तक प्रवेश किए जाने के संबंध में है।

उक्त व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2013–14 से लागू की गई है । शैक्षिक सत्र 2013–14 एवं शैक्षिक सत्र 2014–15 में जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है । सम्भवतः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा इस योजना का सम्यक रूप से प्रचार–प्रसार एवं कियान्वयन में पर्याप्त अभिरूचि नही ली गई है ।

उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 3–12–2012 एवं शासनादेश 20–6–2013 द्वारा प्रसारित शासन की नीति के अन्तर्गत ही शैक्षिक सत्र 2015–16 में उपर्युक्त योजना को गति प्रदान करने हेतु तथा अधिक से अधिक पात्र छात्र–छात्राओं को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से आपको निम्नवत् निर्देश दिए जाते हैं :–

1– जनपद मुख्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नगर क्षेत्र का सर्वेक्षण करा लिया जाय तथा ऐसे वार्ड चिन्हित कर लिए जायें, जिनमें राजकीय, परिषदीय अथवा शासन द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं हैं । ऐसे असेवित वार्डों में स्थित अशासकीय गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को चिन्हित कर लिया जाये और शासनादेश के अनुसार पात्र छात्र–छात्राओं को इन अशासकीय विद्यालयों में कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु उनके माता–पिता/अभिभावक से आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिए जायें। इसके उपरान्त शासनादेश द्वारा विहित प्रकिया के अनुसार वार्ड में स्थित अशासकीय गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिलाया जाय ।

इस हेतु समय सारिणी निम्नवत् निर्धारित की गयी हैः–

(1)–	असेवित वार्डो का चिन्हीकरण	24 जनवरी, 2015 तक
(2)–	असेवित वार्डो की चिन्हीकरण सूची का शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक (बेसिक) को प्रेषण	31 जनवरी,2015 तक
(3)–	असेवित वार्ड में योजना का प्रचार प्रसार एवं आवेदन पत्र प्राप्त करना	01–28 फरवरी,2015 तक
(4)–	आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं प्रवेश हेतु अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय आवंटित करना	15 मार्च,2015 तक
(5)–	पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित करना	31 मार्च,2015 तक
(6)–	नवीन आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं प्रवेश हेतु विद्यालय आवंटित करना	15 अप्रैल,2015 तक

2– शासनादेश संख्या–3087(1)/79–5–2012–29/09टी.सी.–11 दिनांक 3–12–2012 के प्रस्तर–6 खण्ड(ख) में यह प्राविधान किया गया है कि "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह पाये जाने पर कि "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बालकों को पड़ोसी राजकीय/परिषदीय एवं सहायतित विद्यालयों में स्थान/सीटों के अभाव के कारण दाखिला नहीं मिल पा रहा है तो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुरूप ऐसे विद्यार्थियों को निजी असहायतित विद्यालयों में 25 प्रतिशत स्थान/सीटों की सीमा तक कक्षा–1 में प्रवेश पाने का अधिकार प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के अधिकतम 10 कार्य दिवस में आदेश पारित करके निजी विद्यालयों में दाखिला देने का दायित्व होगा, जो सम्बन्धित विद्यार्थी हेतु कक्षा–8 तक की शिक्षा तक मान्य रहेगा।"

योजना के कार्यान्वयन में जनपदीय तथा मण्डलीय अधिकारियों द्वारा यह फीडबैक दिया गया कि राजकीय/परिषदीय/सहायतित विद्यालयों में पूर्व से स्थान/सीटों का निर्धारण न होने के कारण जनपद स्तर पर यह निर्णय नहीं हो पाता है कि अमुक विद्यालय में स्थान/सीटों के अभाव के कारण दाखिला नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में यह उचित होगा कि राजकीय/परिषदीय/सहायता प्राप्त विद्यालय की कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में 40 बच्चों के नामांकन होने के उपरान्त यह माना जा सकता है कि स्थान/सीटों का अभाव है। यदि पूर्व से ही किसी विद्यालय में कक्षा–1 में 2 अनुभाग संचालित है तो उस स्थिति में 80 बच्चों के नामांकन के उपरान्त विद्यालय में कक्षा–1 में स्थान/सीटों का अभाव माना जायेगा। स्थान/सीटों का अभाव होने की स्थिति में शासनादेश द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र बच्चों को अशासकीय गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा सकता है।

3– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–4560/79–5–2014–29/2009टी0सी0–11 दिनांक 11–10–2014 द्वारा अल्पसंख्यक संस्थाओं को उक्त प्राविधानों से छूट दी गई है। अतः उक्त निर्देश अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं होगें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयबद्ध रूप में प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।

भवदीय,

06.01.15

(दिनेश बाबू शर्मा)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–शि0नि0(बे0)/33577-926 /2014–15 तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव,बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0,शासन, लखनऊ
2– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, निशातगंज, लखनऊ।
3– अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
4– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
5– वित्त नियंत्रक,उ0प्र0,बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।
6– वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
7– समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश।
8– जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
10– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
11– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
12– निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।

06.01.15

(दिनेश बाबू शर्मा)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।